न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 139/2019
GCMS NO. : 2019/00167

-: वादी:-

1. राकेश पुत्र उरजाराम
2. गीतादेवी पत्नी उरजाराम
   जाति- रेगर, निवासी- आसरलाई तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।
3. पिस्ता देवी पुत्र उरजाराम पत्नी उगमाराम जाति- रेगर, निवासी- आसरलाई, हाल- केसरपुरा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. पिन्टू पुत्र उजराराम
   जाति- रेगर, निवासी- आसरलाई तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।
2. तहसीलदार जैतारण एवं उपपंजीयन अधिकारी, जिला- पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act.

तारीख रजू:-11/07/2019

उपस्थितः- 1. श्री महावीर सिंह उदावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रमेश कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 30/03/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई भू- अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण, जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 193 रकबा 05 बीघा गै0मु0 बाली की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमे वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज कास्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। नकल जमाबन्दीया साथ पेश है। उक्त सम्पति वादीगण के पिता व पति उरजाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण मे वादीगण के लाड प्यार के एवं घर मे बोलचाल की भाषा मे लिये जाने वाले वादी संख्या एक का नाम शिवलाल पुत्र उरजा व वादी संख्या दो का नाम शांति पत्नी उरजा व वादी संख्या तीन का नाम गुड्डी पुत्री उरजाराम के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी संख्या एक का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम राकेश पुत्र उरजाराम है तथा वादी संख्या दो का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम गीतादेवी पत्नी उरजाराम है व वादी संख्या तीन का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम पिस्ता पुत्री उरजाराम जो वादीगण के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, आदि मे भी वादी संख्या एक का नाम राकेश पुत्र उरजाराम व वादी संख्या दो का नाम गीतादेवी पत्नी उरजाराम व वादी संख्या तीन का नाम पिस्ता पुत्री उरजाराम दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्टी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 21/06/2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे उक्त रोंग एन्टी एवं रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत्घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादीगण का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादी संख्या एक अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम राकेश पुत्र उरजाराम व वादी संख्या दो अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम गीतादेवी पत्नी उरजाराम व वादी संख्या तीन का नाम पिस्ता पुत्री उरजाराम से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादीगण होने से उक्त वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। वादीगण को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेसानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरकसरकारी योजनाओ से फायदा नही उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारो के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए केवल मात्र परफोर्मा प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है, इनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद पत्र अति आवश्यक प्रकृति का है तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वाद करने का मकसद विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 21/06/2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम खराडी तहसील जैतारण जिला पाली राज० मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने वकालत नामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो सामिल मिसल है। जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबालिया जवाब दावा में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्पूर्ण तथ्यों को स्वीकार करते हुये यह इस्तदुआ की है कि वादीगण का वादपत्र यदि डिक्री किया जाता है तो उसमें प्रतिवादी संख्या एक को कोई उजर ऐतराज व आपत्ती नहीं है क्योंकि राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम [illegible] तौर पर लाड प्यार से लिये जाने वाले नाम दर्ज कर दिये गये है जिनको संशोधन कर वादीगण का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जावें। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम निमाज के खसरा संख्या 193 रकबा 05-00 बीघा किस्म गैरमुमकिन बाली में विरासत नामान्तरण के दौरान गलत नाम दर्ज कर दिये जाने से सही नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में वादी राकेश, गीता देवी एवं पिस्ता का आधार कार्ड की प्रति क्रमशः प्रदर्श-1, प्रदर्श-2, प्रदर्श-3 है। जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 ग्राम आसरलाई प्रदर्श-4, नामान्तरण पंजिका प्रति ग्राम आसरलाई प्रदर्श-5, वादी गीता का परिवार भामाशाह कार्ड प्रदर्श-6ए, परिवार राशन कार्ड वादी गीता प्रदर्श-7ए, उगमाराम का परिवार राशनकार्ड प्रदर्श-8ए, वादी राकेश का साक्ष्य शपथपत्र PW-1, वादीया गीता का साक्ष्य शपथपत्र PW-2, वादीया पिस्ता का साक्ष्य शपथपत्र PW-3, प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाये। प्रतिवादी पिन्दु जो कि वादी राकेश का भाई है प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुये वादपत्र में अंकित तथ्य एवं कथनों का समर्थन किया है।

2. नामान्तरण पंजिका ग्राम आसरलाई नामान्तरण संख्या 1392 दिनांक 14.03. 2005 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की किस्म गैरमुमकिन बाली है तथा इसमें वादीगण के पिता व पति उरजा बतौर गैरखातेदार दर्ज थे जिनके फौत होनें पर वारिसानों के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया तथा वारिसान के रूप में पिन्दु, शिवलाल पि0 उरजा, गुड्डी पुत्री उरजा, शांति पत्नी उरजा सा0 देह गैर खातेदार दर्ज किया गया।

3. वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में परिवार राशन कार्ड व आधार कार्ड प्रस्तुत किया है जिन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा केवल इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर भू अभिलेख में दर्ज किसी प्रविष्टियों को त्रुटिपूर्ण मानते हुये संशोधित कर देना विधिसंगत नहीं होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वक्त नामान्तरण गैर खातेदारी दर्ज थी तथा वर्तमान में खातेदारी दर्ज है। इसलिये यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2005 के पश्चात् वादीगण को भू अभिलेख की प्रविष्टियों की जानकारी नहीं थी। भू अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की किस्म गैरमुमकिन बाली है जो धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है तथा वादीगण द्वारा इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त भूमि भू प्रबन्ध में वादीगण के खाते दर्ज है या यह कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित एवं नियमित की गई है। यदि यह आवंटित या नियमित हुई है तो इसमें धारा 16 का उल्लघंन होनें की भी संभावना है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण का वादपत्र बखूबी साबित साबित नहीं होता है तथा सारहीन है। अतः इसे तहसीलदार जैतारण को इस निर्देश के साथ कि "प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के उल्लंघन के सम्बन्ध में पूर्ण जांच करें तथा उल्लंघन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जाने पर सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करें'', अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि ''प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के उल्लंघन के सम्बन्ध में पूर्ण जांच करें तथा उल्लंघन पाये जाने पर सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करें।'' पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested